



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डळ मोप्र० छत्तीगिरि

श्री १०३० क० संबंधित विवेद-७०३-१११-१५
प्रकरण क्रमांक / 2015 कन्ट्रैक्स्ट

दोस्री बाजे ५-५-१५
प्रस्तुति

५-५-१५
राजस्व मण्डल सं-

S.1030/111-15

चतरनारायण पुत्र श्री नवनूलाल
निवासी- ग्राम नापली तहसील
सीहोर जिला सीहोर, मोप्र०

—आवेदक

बनाम

कुलदीप दुबे, नायुब तहसीलदार,
तहसील सीहोर, ज़िला सीहोर,

-- अनावेदक

अवमानना आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 12 न्यायालय
अवमानना अधिनियम 1971, सहपात्र धारा 31
मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से अवमानना आवेदन-पत्र
निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

- यहकि, आवेदक को ग्राम नापली की स्थित शासकीय प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 62, एवं 62-118/1 नोईयत आबादी में से 0.260 हैक्टर भूमि पर वर्ष 2014-15 खाली भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का पटवारी हल्का क्रमांक 55 के प्रतिवेदन पर से तथाकथित नोटिस जारी किया गया।
- यहकि, अनावेदक शासन द्वारा जारी उक्त तथाकथित नोटिस पर से की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व संहिता के तहत्

कृत्य
नांकी
प्रालय
एवं
लिये
धनियम
पात्र है,
त किया
त पालन

न है कि,
आवेदक के
अवमानन
का दोष
नि कृपा
थगन आदेत
हेतु आदेति

गारान

श्री नवनू
तहसील सं
--आदेति

रा अभिभाव

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 703-तीन / 15

जिला - सीहोर

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि फे हस्ताक्षर
१५.९.१६	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० श्रीवास्तव द्वारा यह प्रकरण राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी ८०-तीन / १५ में दिये गये स्थगन दिनांक ६.२.१५ के विरुद्ध अवमानना आवेदनपत्र धारा १२ न्यायालय अवमानना अधिनियम १९७१ सहपठित धारा ३१ म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>२- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर से अनावेदक द्वारा अभिलेख न भेजते हुये आवेदक के विरुद्ध उक्त तथाकथित नोटिस पर से की जा रही कार्यवाही को और अधिक तेज करते हुये आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन देने के उषरांत भी अनावेदक के द्वारा कार्यवाही स्थगित न करते हुये आवेदक को विवादित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश की अवहेलना एवं अवमानना की कार्यवाही करते हुये अनावेदक को दण्डित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>३-आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल प्रकरण निगरानी ८३-तीन / १५ में अंतिम आदेश दिनांक ५.८.१५ पारित किया जाकर निगरानी निरस्त कर्त्तृ गई है। अतः अब इस प्रकरण में कुछ शेष बिन्दु</p>	

नहीं रह जाता है जिसके कारण यह प्रकरण लंबित रखा जावे। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य


M